भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 514
जिसका उत्तर मंगलवार 25 जून, 2019 को दिया जाएगा

दालों और खाद्य तेलों का मूल्य-नियंत्रण

514. श्री राहुल रमेश शेवले:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में उच्च वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कमोडिटीज फ्यूचर्स रेगुलेटर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) को कृषि उत्पादों विशेषकर दालों और खाद्य तेलों में अटकलों और मूल्य हेरफेर को रोकने के लिए निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में दालों और खाद्य तेलों की मांग के उनकी आपूर्ति से अधिक होने के अनुमान के मद्देनज़र दालों और खाद्य तेलों के आयात में और तेजी लाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दालों और खाद्य तेलों की कितनी मात्रा का आयात किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों विशेषकर दालों और खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री राम विलास पासवान)

(क) और (ख): वित्त अधिनियम, 2015 के तहत वायदा बाजार प्रभाग के विनियामक कार्यों का विलयन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ कर दिये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का विनियमन करता है। कृषि उत्पादों के सह उत्पादों में अटकलों और मूल्य हेरफेर को रोकने संबंधी मामले, सरकार द्वारा नियमित रूप से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ उठाएं जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट की संपूर्णता को सुदृढ़ करने और बनाए रखने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनेक कदम उठाए हैं और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में कृषि वस्तुओं के सह उत्पादों के मूल्य में बहुत अधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त या/और विशेष मार्जिन के अधिरोपण, स्थिति सीमा, दैनिक मूल्य सीमा, स्टॉक एक्सचेंजों के अभिशासन, ब्रोकरों के पंजीकरण जैसे विशिष्ट मानक निर्धारित किए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) व्यापारिक गतिविधि की समेकित मानीटरिंग और निगरानी भी करता है जिसके अंतर्गत बाजार की निष्ठा बनाए रखने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट पर निरंतर नजर रखी जाती है।

(ग) और (घ): कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में दालों का उत्पादन 23.22 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2017-18 के अंतिम अनुमानों के अनुसार दालों का उत्पादन 25.42 एम.एम.टी. ही अपेक्षित था। वर्ष 2018-19 में तिलहनों का उत्पादन 31.42 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2017-18 के अंतिम अनुमानों के अनुसार तिलहनों का उत्पादन 31.46 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) अपेक्षित था।

वर्ष 2017-18 के 103.80 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2018-19 के सभी स्रोतों (प्राथमिक तथा माध्यमिक) से खाद्य तेलों की कुल उपलब्धता का अनुमान 99.94 लाख मीट्रिक टन हैं। खाद्य तेलों की मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए देश को आयातों पर निर्भर करना होता है। खाद्य तेल का आयात ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता है। वर्ष 2017-18 में 14.59 एम.एम.टी. की तुलना में वर्ष 2018-19 (नवम्बर-अप्रैल) में 7.44 एम.एम.टी. खाद्य तेलों का आयात किया गया। दालों के मामले में, वर्ष 2017-18 में 5.61 एम.एम.टी. के आयात की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 2.53 एम.एम.टी. दालों का आयात किया गया।

(ड.) सरकार ने क्रमश: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ. एस.एम.) तथा राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी.) के माध्यम से दालों तथा तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने, दालों और तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित करने, उचित मूल्यों पर दालों तथा खाद्य तेलों की उपलब्धता को प्रोन्नत करने के लिए उपयुक्त व्यापार तथा वित्त नीति को लागू करने सहित विभिन्न उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने तूर तथा अन्य दालों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मोजाम्बिक के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और कीमतों में उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के लिए समय-समय पर बफर से दालों की अंशांकन रिलीज भी करती है। इसके अलावा, मूल्यों में उतार-चढ़ाव के मामले में समय पर हस्तक्षेप करने के लिए सरकार दालों तथा खाद्य-तेलों की कीमतों की गहन निगरानी करती है।

*****